

न्यायालय:- पवन कुमार पटेल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट),
उज्जैन, जिला उज्जैन


प्रारूप नंबर-04
(बीएनएसएस, 2023 की धारा-84)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि गोपाल अंजना पुत्र श्री चतुरभुज अंजना निवासी जहाजपुर, थाना अरनोद, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान नें एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के दण्डनीय धाराओं के अंतर्गत अपराध कारित किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए नोटिस अंतर्गत धारा-67 एन.डी.पी.एस. एक्ट का पालन नहीं कर रहा है, और मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि उक्त गोपाल अंजना पुत्र श्री चतुरभुज अंजना फरार हो गया है या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि, गोपाल अंजना पुत्र श्री चतुरभुज अंजना निवासी जहाजपुर, थाना अरनोद, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान और अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए न्यायालय पवन कुमार पटेल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट), उज्जैन, जिला उज्जैन को दिनांक 13-11-24 को हाजिर हो।

दिनांक- 04-10-2024


हस्ताक्षर



न्यायालय की मुद्रा
(पवन कुमार पटेल)
विशेष न्यायाधीश
अंतर्गत एन.डी.पी.एस. एक्ट
उज्जैन जिला-उज्जैन (म.प्र.)

CB C 19126/11/0024/2425